प्रेस विज्ञप्ति

06.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा–II, नई दिल्ली द्वारा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 01.01.2022 से 31.01.2024 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ख) एवं धारा 12 के अंतर्गत भोला सिंह के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई जांच में यह स्थापित हुआ कि भोला सिंह ने जानबूझकर नकदी एवं स्वर्ण आभूषण अपने कब्जे में रखकर तथा अचल संपत्ति के अधिग्रहण हेतु बैंकिंग माध्यमों से तीसरे पक्ष के धन का उपयोग कर अपराध से अर्जित आय को अर्जित किया, अपने कब्जे में रखा, छिपाया तथा उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया। जांच में यह भी पाया गया कि तीसरे पक्ष से प्राप्त 50 लाख रुपये की राशि का उपयोग अन्य धनराशि के साथ मिलाकर रांची स्थित सेल सिटी में एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए किया गया, जिससे उक्त संपत्ति को वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। जांच के दौरान चिन्हित एवं परिमाणित अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य **2.79 करोड़ रुपये** है।

ईडी द्वारा इससे पूर्व धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग **2.79 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जा चुका है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक लॉकरों से बरामद स्वर्ण आभूषण तथा रांची स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं।